

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

प्रेस-नोट

आज दिनांक 06.01.2024 को "विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024" अन्तर्गत 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2024 का प्रकाशन सभी 64523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

इसी संदर्भ में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निम्नानुसार प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री सुमित चौहान, आम आदमी पार्टी
2. श्री सी.एल. गौतम, बहुजन समाज पार्टी
3. श्री भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री रामचरण पी.व्ही., कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
5. श्री जे.पी. धनोपिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस

बैठक में उपस्थित उक्त प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है:-

फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 (शनिवार), दावे एवं आपत्तियों प्राप्त किया जाना दिनांक 06.01.2024 (शनिवार) से 22.01.2024 (सोमवार)। विशेष अभियान के तहत दिनांक 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 20 जनवरी 2024 (शनिवार) होंगे। विशेष कैम्प के दिन बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 02.02.2024 (शुक्रवार) तक होगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08.02.2024 को किया जाएगा।

दिनांक 06.01.2024 को जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, उसमें सामान्य मतदाताओं की संख्या **5,59,98,370**, जिसमें पुरुष मतदाता 2,87,90,967 महिला मतदाता 2,72,06,136, थर्ड जेण्डर 1,267 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या **75326** है, जिसमें 73,028 पुरुष एवं 2,298 महिला मतदाता हैं।

इस प्रकार समस्त कुल 5,60,73,696 मतदाता प्रारूप प्रकाशन अनुसार दर्ज हैं। इनमें कुल 5,03,564 दिव्यांग मतदाता है तथा 103 अप्रवासी भारतीय है।

आयोग के निर्देशों के पालन में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के पूर्व ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। वर्तमान में राज्य में अब कुल मतदान केन्द्रों की संख्या **64523** है।

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि 01.01.2024 के मान से निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा और अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 के मध्य प्राप्त की जावेगी।

सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल ऐजेंट नियुक्त करें तथा उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान सक्रियता से सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें।

01.01.2024 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपना ईपिक कार्ड प्राप्त करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह सारी कार्यवाही निःशुल्क है। इसके लिए आप अपने बी.एल.ओ. से संपर्क करें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप्प तथा वोटर पोर्टल (<http://voters.eci.gov.in>) से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो निर्वाचन हेल्पलाइन नम्बर 1950 कार्यालयीन समय पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभी मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 के पहले अपने जिले का STD कोड डायल कर सीधा जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।